20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग–एक

विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी

प्रस्तावना :

समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की सबसे पहले मदद करने, उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन–ज्ञापन के अवसर सुलभ कराने और समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता दूर करने के उद्देश्य से देश में सर्वप्रथम वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम
को नई दिशा देने तथा अधिक प्रभावकारी बनाने के उददेश्य से वर्ष 1986 में इसे नया स्वरूप प्रदान किया गया तथा संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1986 की घोषणा की गई। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1987 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रभावशील है।

विभागीय संरचना :

शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मानिटरिंग के लिए जिस प्रकार केन्द्र में योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग स्थापित है, उसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी इस कार्य के लिए वर्ष 1982 में 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का गठन किया गया था। नवम्बर 2000 में नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तथा शासन स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग के साथ 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को सम्बद्ध किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय :

20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के अंतर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मानिटरिंग आदि के लिए पृथक से किसी विभागाध्यक्ष की स्थापान नहीं की गई है। अपर मुख्य सचिव, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन को ही विभागाध्यक्ष के समान वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। जिला एवं विकास खंड स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु समस्त जिलाध्यक्ष व विकासखंड अधिकारियों को पृथक से निम्न अमला स्वीकृत किया गया है :–

क्र.	कार्यालय	कुल स्वीकृत पद	
		सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–3

1.	जिला (16)	16	16
2.	विकास खंड (196)	–	146
योग –		**16**	**162**

छत्तीसगढ़ में नवगठित त्रि–स्तरीय पंचायतों को अधिकारों के प्रत्योजन के तहत इस विभाग के जिला स्तर पर तथा विकासखंड स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों को जिला एवं जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में दिया गया है।

विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :

(अ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय– कुछ नहीं

(ब) अधिनियम के अधीन गठित मंडल तथा नियम– कुछ नहीं

(स) ऊपर (3) के अधीन न आने वाले निकाय तथा संस्थाएं– कुछ नहीं

(द) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो– कुछ नहीं

विभागीय दायित्व–

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।
2. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/विकासखंड स्तरीय एवं शहरी क्षेत्र 20 सूत्रीय समितियों का गठन।
3. भारत सरकार के योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग) द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं की मानिटरिंग एवं समीक्षा ।

5. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ– नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन छुट्टी, सेवानिवृत्ति, वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन।

विभाग द्वारा प्रसारित अधिनियम तथा नियम –

1. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम का अधिनियम, 1980
2. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

3. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्नयोदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1997
4. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्तयोदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991

उक्त सभी अधिनियम एवं नियम छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रभावशील है ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :

इस विभाग का मुख्य कार्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम की उपलब्धियों का निरंतर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना, विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों के सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना, समितियों के गठन से संबंधित कार्य आदि है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :

1. मानिटरिंग –

छत्तीसगढ़ में 20 सूत्रीय कार्यक्रम – 1986 की मानिटरिंग केन्द्रीय योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार निरंतर की जा रही है। केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा उन्हीं के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की उपलब्धियों की जानकारी प्रतिमाह की 5 तारीख तक भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। उपलब्धियों की समीक्षा इस विभाग द्वारा की जाती है। इसके अलावा मुख्य सचिव की

अध्यक्षता में भी समय–समय पर बैठकें आयोजित कर उपलब्धियों की समीक्षा किये जाने की नीति है। समीक्षा में जिन सूत्रों की उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम पाई जाती है, उनके विषय में संबंधित विभागों से इनके कारणों की जानकारी ली जाती है तथा उनका निराकरण कर प्रगति में सुधार लाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन तथा निर्देश दिए जाते हैं।

2. पंचायत राज संस्थाओं को अधिकारों का प्रत्यायोजन एवं दी गई जिम्मेदारियों –

छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यप्रदेश के समान ही नवगठित त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु लिये गये निर्णय के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा एवं अनुश्रवण (मानिटरिंग) कार्य तथा क्रियान्वयन व रिपोर्टिंग का कार्य अब जिला एवं जनपद पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायतों को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की देख–रेख करें तथा यह भी देखें कि इसका वास्तविक लाभ सही लोगों को मिल रहा है । इन कार्यक्रमों को सूत्रवार प्रगति, उपलब्धियों की मासिक जानकारी संबंधित क्षेत्र की जनपद द्वारा पंचायत को तथा जिला पंचायत द्वारा प्रशासकीय विभाग के माध्यम से इस विभाग को उपलब्ध कराई जाती है।

3. प्रदेश में अनुश्रवण एवं समीक्षा समितियों का गठन –

प्रदेश में कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये चलाये गये 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये मध्यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से 20 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1980 को वर्ष 1997 में संशोधित किया गया है। तथा इस अधिनियम के अधीन नियम प्रकाशित किये गये हैं। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील किया गया है।

4. बीस सूत्रीय कार्यक्रम की उपलब्धियां –

भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005–06 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिये लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट–एक पर संलग्न हैं।

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) –

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के अंतर्गत जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु स्वीकृत अमले के वेतन, भत्ता, यात्रा व्यय आदि पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2005–06 के लिए रू. 1,24,50,000/– का आवंटन प्राप्त हुआ है। 31 दिसम्बर, 2005 तक उक्त आवंटन में से लगभग 80 प्रतिशत राशि व्यय किया गया है।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं –

(अ) राज्य योजनाएं : इस विभाग के अंतर्गत कोई भी स्वतंत्र रूप से राज्य प्रवर्तित योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना क्रियान्वित : इस विभाग के अंतर्गत कोई भी केन्द्र प्रवर्तित योजना नहीं की जा रही है ।

सामान्य प्रशासनिक विषय –

बीस सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में वर्तमान में कोई विभागाध्यक्ष कार्यालय नहीं है ।

भाग–सात

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का कार्य मूलतः बीस सूत्रीय कार्यक्रम की नियमित मानिटरिंग तथा मासिक उपलब्धियों की जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा इस कार्य को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम 1986

समितियों द्वारा समीक्षा एवं अनुश्रवण किये जाने के लिये कार्यक्रमों की सूची

सूत्र क्र.	क्र.	योजना का नाम
एक		गरीबी के खिलाफ संघर्ष–
	1.	एकीकृत ग्रामीण समृद्धि योजना
	2.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
	3.	सूखा अन्मूख क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम
	4.	जीवनधारा कार्यक्रम
दो	5.	रोजगार आश्वासन कार्यक्रम
	6.	प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम
	7.	नेहरू रोजगार कार्यक्रम
	8.	शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
	9.	वृद्धावस्था/निराश्रित पेंशन कार्यक्रम
	10.	गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा/समूह बीमा स्कीम
तीन		वर्षा पर निर्भर कृषि विकास –
	11.	राजीव गांधी जलग्रहण (वाटरशेड) मिशन
	12.	राष्ट्रीय जलग्रहण (वाटरशेड) विकास कार्यक्रम
	13.	उद्वहन सिंचाई स्कीम
	14.	छोटे बालाब/स्टापडेम का निर्माण
चार		सिंचाई जल का बेहतर उपयोग–
	15.	फील्ड चैनल का निर्माण
		उन्नत कृषि अधिक उत्पादन –
	16.	राजीव गांधी मत्स्यपालन मिशन
	17.	कृषि अनुदान स्कीम

पांच		<u>**भूमि सुधार -**</u>
	18.	अतिशेष भूमि का वितरण
	19.	भू-अभिलेखों को अद्यतन पूरा करना
	20.	अतिक्रमण पर रोक
	21.	अविवादित नामांतरण
छः	22.	बन्धुवा मजदूरों का पुर्नवास
	23.	मजदूरों के प्रयास का अनुश्रवण (मानिटरिंग)
सात		<u>**पीने का साफ पानी -**</u>
	24.	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
	25.	नगरीय पेयजल कार्यक्रम
आठ		<u>**सभी के लिये स्वास्थ्य-**</u>
	26.	जनस्वास्थ्य रक्षक स्कीम
	27.	बाल रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम
	28.	ग्रामीण स्वच्छ शौचालय
	29.	राजीव गांधी स्वच्छता मिशन
नौ		<u>**दो बच्चों का परिवार -**</u>
	30.	एकीकृत बाल विकास केन्द्र
	31.	मातृ-शिशु कल्याण, आयुष्मति, वात्सल्य एवं गर्भवती महिला कल्याण स्कीम शिक्षित राष्ट्र
दस	32.	राजीव गांधी शिक्षा मिशन
	33	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
ग्यारह		<u>**अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों को न्याय**</u>
	34.	अनुसूचित जातियों को सहायता कार्यक्रम
	35.	अनुसूचित जनजातियों को सहायता कार्यक्रम
बारह		<u>**महिलाओं को समानता**</u>
	36.	महिलाओं के लिये आर्थिक सहायता कार्यक्रम
	37.	कौशल विकास प्रशिक्षण स्कीम
	38.	शिक्षित बेरोजगारों के लिये बेरोजगारी भत्ता
	37.	ग्रामीण खेलकूद
चौदह		<u>**सबके लिये मकान**</u>
		(क) ग्रामीणः
	40.	आवास स्थलों का उपबंध

	41.	निर्माण सहायता
	42.	इंदिरा आवास योजना

भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये

20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण

वर्ष 2005-06

Item No.	Description	Units	Annual Target
1B	SGRY	Number of Mandays	Not. Fixed
5A	Distribution of Surplus Land	Hect.	48.698
7A	Drinking Water Supply (Vigs/Hab.Covered)	Numbers	2777
8A	Community Health Centres	Numbers	6
8B	Primary Health Centres	Numbers	39
8D	Immunisation (DPT, Polio, BCG)	No. of Inf. Imm	524358
9C	ICDS Block	Numbers	152
9D	Anganwadis	Numbers	20289
11A	SC Families assisted	No. of Families	30000
11B	ST Families assisted	No. of Families	98000
14C	Indira awaas Yojana (New Construction)	No. of House	27825
14D	EWS Houses	No. of Houses	5000
14E	LIG Houses	No. of Houses	1000
15	Slum Improvement	No. of Persons Covered	200000
16A	Tree Plantation on Private Lands	No. of Trees Planted	17500000
16B	Area Covered under Public & Forest Lands	Hect	100000
19A	Villages Electrified	Numbers	350
19B	Pumpests Energised	Numbers	7500
19D	Bio Gas Plants	Numbers	500

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में उपरोक्त बिन्दुओ में माह अप्रैल से सितम्बर,2005 की प्रगति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ।